तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 16/2023 भेराराम का.मु. बाबुलाल वगै. बनाम नैनदास वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2025	**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर** पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस **आदेश** दिनांक 19.02.2025 उपस्थिति 1. अपीलांटस की तरफ से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत 2. उतरदातागण की तरफ से अधिवक्ता श्री खैताराम सैन अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलकर्ता संख्या 01 भेराराम(फौत) दिनांक 29.04.2021 को कोई किसी प्रकार का सम्मन प्राप्त नहीं हुआ तथा अपीलकर्ता संख्या 01 भेराराम का देहान्त दिनांक 29.04.2021 को ग्राम नई उन्दरी में हुआ था। अपीलकर्ता संख्या 1 व उसका पूरा परिवार ग्राम नई उन्दरी में निवास करते आ रहे है तथा जालीखेड़ा स्थित खेत में अन्य अपीलकर्ता का स्वामित्व की हैसियत से आधिपत्य चला आ रहा है। जबकि उतरदाता संख्या 1 वादी ने अपीलकर्ता के गलत पते लिखकर बिना न्यायालय के आदेश के नोटिस भेजे गये हैं। जबकि रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाते हुए न्यायालय से आदेश 5 नियम 20 ए सी पी सी के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड डाक से आदेश करवाने आवश्यक हैं जबकि वादी ने ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं कर सीधे ही रजिस्टर्ड डाक गलत नाम के पते पर भेजे गये हैं। जो कभी भी अपीलकर्ता को प्राप्त नहीं हुए तथा दिनांक 19.04.2022 को अपीलकर्ता के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही बिना रजिस्टर्ड डाक पावती एवं बिना डाक डिलेवरी रिपोर्ट के एकतरफा कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। उतरदाता के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उसके बावजूद भी हस्तगत प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण अधिकतम तीन माह में निस्तारण की हिदायत देते हुए किया जावे। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर	

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलांटस को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित की गई। मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 134/2021 बउनवान नैनदास बनाम भेराराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.2022 को अपास्त किया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को जबाव, साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलाश सुनाया गया।

19/2/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर